

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-03/2021

मत्स्य विकास पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

1. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत मत्स्य विकास पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-9284, दिनांक-06.10.2020 के द्वारा प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाईट www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर दिनांक-06.04.2021 से दिनांक-05.05.2021 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अध्याची विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रोस्टर के अनुसार मत्स्य विकास पदाधिकारी हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है:-

पदनाम	वेतनमान	पदों की कोटिवार विवरणी										अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
		अना०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन० जाति	अ० पि० व०	पि० व०	पि० व० की महिला	कुल	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु 2%	दिव्यांग हेतु 4%	
मत्स्य विकास पदाधिकारी	लेवल-6	90	21	34	03	33	24	07	212	04	VI-02 OH-02 DD-03 MD-02 ----- कुल-09	(i) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० इण्डस्ट्रीयल फिश एण्ड फिशरीज (ऑनर्स) अथवा बी०एस०सी० (एक्वाकल्चर) अथवा एम०एस०सी० जन्तु विज्ञान (स्पेशल पेपर फिश) अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई के केन्द्र से इनलैण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नाकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स।
35 % महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण		31	06	13	01	13	08	---	72			

2. आयु सीमा:-(i) दिनांक-01.08.2020 को न्यूनतम 21वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:-

(ii) अनारक्षित-37वर्ष

(iii) अनारक्षित महिला-40 वर्ष

(iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)-40 वर्ष

(v) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष/महिला)-42 वर्ष

(vi) उक्त आयु सीमा में सा०प्र०वि० के संकल्प सं०-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक के दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

- (vii) सा०प्र०वि० के संकल्प सं०-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को उच्चतर वेनतमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों का छूट अनुमान्य हैं।
- (viii) मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश सं०-238, दिनांक-11.02.2021 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.2010 को अधिकतम उम्र सीमा (अनारक्षित पुरुष-37 वर्ष, अनारक्षित महिला-40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग(पुरुष/महिला)-40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति-42 वर्ष) धारित करते हैं वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

3. मत्स्य विकास पदाधिकारी — चयन की प्रक्रिया:-

- (i) विज्ञापन की कंडिका 1 में अंकित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए— 75 अंक
- (ii) मत्स्य निदेशालय बिहार सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों अथवा बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्य विभागों अथवा राज्य सरकार से संबंधित कार्यालयों में कृषि एवं मत्स्य प्रक्षेत्र के कार्य हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मियों को कार्य अनुभव हेतु (प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) — 25 अंक
- (iv) अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक-06.04.2021 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का अपने नियंत्री पदाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र का साक्ष्य ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। कुल-100 अंक

नोट:- (i) किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का अवधारण उक्त कोर्सों की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। अर्थात्, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे $50 \times 0.75 = 37.5$ अंक दिये जायेंगे।

(ii) प्रत्येक कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंको की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या को 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।

4. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
- (b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
- (c) सा०प्र० विभाग के अधिसूचना संख्या-673, दिनांक-05.03.2011 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना अनिवार्य है।
- (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र- (सामान्य प्रशासन विभाग की अधि० सं०-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में)
- (b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
- उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि

क्र०सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला (WBC)
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWC)

- (v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक -16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/ संविदा पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
5. **आवेदन शुल्क:-** (i) Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

क्र०सं०	उम्मीदवार की कोटि	आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 200/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य के स्थायी निवासी)	रु० 50/-
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के निवासी)	रु० 50/-
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों।	रु० 200/-

- (ii) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रुपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रुपया परीक्षा शुल्क देय होगा।
- (iii) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या एस. बी. आई के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
- (v) अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।
- (vi) वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को

इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

6. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसेलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) मत्स्य विकास पदाधिकारी हेतु कंडिका 3 (ii) के अंतर्गत अधिमानता का दावा करने वाले उम्मीदवारों को कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उनके संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकार, सक्षम प्राधिकार होंगे।
7. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउंसेलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का इंक साईन कॉपी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
8. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
9. योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि दिनांक-05.05.2021 के पूर्व का होना आवश्यक है।
10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसेलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in एवं आयोग के परीक्षा पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
13. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
15. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी, अपना, नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
 - (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।
 - (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

- (vii) **फोटोग्राफः**—(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो फोटो बिना चश्मा के खींचवाएंगे।
- (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।
- (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशों के आलोक में विज्ञप्ति में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।
- नोटः—**1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

28/4/21

उप सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।